दैनिक जागरण

आत्मा प्रत्येक समस्या का उचित उत्तर अवश्य देती है

महाराष्ट्र में मौकापरस्ती

दिल्ली में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं की मुलाकात से यदि कुछ संकेत मिल रहा है तो यही कि महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर फिर कोई खिचड़ी पक रही है। कहना कठिन है कि यह खिचड़ी कब पकेगी, क्योंकि जब शिवसेना को समर्थन देने के सवाल पर कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेताओं में मंत्रणा हो रही थी तब शरद पवार प्रधानमंत्री से मुलाकात कर रहे थे। हालांकि उनकी मानें तो वह किसानों के मसले पर प्रधानमंत्री से मिले, लेकिन आखिर इसे कैसे भूल सकते हैं कि चंद दिनों पहले सोनिया गांधी से मुलाकात करने के बाद उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार गठन को लेकर तो कोई बात ही नहीं हुई। शरद पवार की प्रधानमंत्री से मुलाकात चाहे जिस मसले पर हुई हो, यह दिखने लगा है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने शिवसेना को समर्थन देने का मन बना लिया है। इसके बावजूद शायद बात तभी बनेगी जब शिवसेना के नेतृत्व वाली भावी सरकार का स्वरूप तय होगा। इस सरकार का स्वरूप कुछ भी हो, शिवसेना के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को भी कुछ कठिन सवालों से दो-चार होना होगा। सबसे पहला सवाल तो यही होगा कि क्या शिवसेना का साथ देने के बाद भी कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी खुद को कथित तौर पर पंथनिरपेक्ष दल बताती रहेंगी? अगर इन दोनों दलों को शिवसेना की राजनीति रास आ गई है तो फिर उनके मुद्दों का क्या होगा जिनके आधार पर वे चुनाव मैदान में उतरे थे? स्पष्ट है कि यदि सत्ता के लोभ में शिवसेना अवसरवादी राजनीति का परिचय दे रही है तो यही काम कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी भी कर रही हैं।

महाराष्ट्र में एक तरह से कर्नाटक को भी मात देने वाला बेमेल राजनीतिक प्रयोग किया जा रहा है। कर्नाटक में भाजपा को सत्ता में आने से रोकने के लिए एक-दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़े जनता दल-एस और कांग्रेस ने हाथ मिला लिया था तो महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री की कुर्सी के लोभ में शिवसेना भाजपा से नाता तोड़कर अपने धुर विरोधी दलों की गोद में बैठने को तैयार है। यह मौकापरस्त राजनीति का चरम है। इसके बुरे नतीजे शिवसेना के साथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस को भी भोगने होंगे। निःसंदेह गठबंधन राजनीति के नाम पर राजनीतिक दलों ने पहले भी मनमानी की है, लेकिन महाराष्ट्र में जो कुछ होता हुआ दिख रहा है वह तो एक तरह से जनादेश की लूट है। इस तरह की बेशर्म राजनीति लोकतांत्रिक मूल्यों और परंपराओं को छिन्न-भिन्न करने वाली ही है। अब न तो चुनाव पूर्व गठबंधन भरोसे के काबिल होंगे और न ही तथाकथित पंथनिरपेक्ष राजनीति।

मानवता शर्मसार

देश के किसी गरीब की इलाज के अभाव में मौत न हो, उन्हें समय पर उपचार मिले-इसी को ध्यान में रख केंद्र और झारखंड सहित सभी राज्य सरकारें हर कवायद में लगी हैं। मरीजों की राहत के लिए आयुष्मान भारत योजना और 108 सरकारी एंबुलेंस सेवा की व्यवस्था की गई है, मगर यह बात भी ध्यान में रखनी होगी कि किसी भी योजना को पूरी शिद्दत के साथ तभी अमलीजामा पहनाया जा सकता है जब उसे अंजाम देने वाले पेशे के साथ पूरी ईमानदारी बरतें। जो व्यवस्था बनाई गई है, उसे ठीक से लागू किया जाए। यदि कर्तव्य के साथ नाइंसाफी हो गई तो उद्देश्य पूरा नहीं हो सकता। गिरिडीह में दो दिन पहले सड़क हादसे में दो लोगों की मौत व्यवस्था की अनदेखी की बानगी है। दरअसल जमुआ-कोडरमा मार्ग पर खोरीमहुआ के पास चादगर इलाके में हादसा हुआ था। बाइक पर जा रहे तीन युवकों को अज्ञात वाहन ने रविवार की रात टक्कर मार दी। घायलों की सहायता के लिए आसपास के लोग दौड़ पड़े। सरकारी एंबुलेंस बुलाई गई। गंभीर रूप से घायल तीनों युवक तड़प रहे थे। बावजूद कम दूरी तय करने की चाहत में एंबुलेंस चालक ने अपने फर्ज से मुंह मोड़ लिया। घायल युवकों को गिरिडीह सदर अस्पताल ले जाना चाहिए था, लेकिन वह घायलों को बिरनी सीएचसी ले गया। सीएचसी में चिकित्सक मौजूद थे, मगर कलियुग के भगवान ने उनकी ओर ताका तक नहीं।

> किसी योजना को तभी अमलीजामा पहनाया जा सकता है जब उसे अंजाम देने वाले पेशे के साथ ईमानदारी बरतें

बिना प्राथमिक उपचार किए ही घायलों को सदर अस्पताल ले जाने का निर्देश दिया। इसके बाद तो एंबुलेंस चालक ने वह किया जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो गई। एक ओर घायल तड़प रहे थे, उनकी सांस टूटती जा रही थी, दूसरी ओर वह कह रहा था कि एंबुलेंस में डीजल नहीं है, उनको दूसरे वाहन से ले जाओ। परिजनों के काफी अनुनय-विनय करने पर किसी प्रकार वह सदर अस्पताल गया। इस घटनाक्रम में इतना समय बर्बाद हो गया था कि अत्यधिक खून बहने के कारण दो युवकों ने अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया। परिजनों ने साफ-साफ कहा कि अगर एंबुलेंस चालक ने समय बर्बाद नहीं किया होता तो युवकों की जान बच सकती थी। उधर सीएचसी के डॉक्टरों ने भी जो किया, उसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। यहीं पर यह सवाल उठ खड़ा होता है कि व्यवस्था सुचारू कैसे होगी? क्या जान की कीमत लगाई जा सकती है? इसका जवाब है-नहीं। इस घटना से सबक लेना चाहिए और कर्तव्य सर्वोपरि है, इसका संकल्प लेना चाहिए। मानवता के लिए यह जरूरी है।

रोजगार की बाधा बने श्रम कानून

जीएन वाजपेयी

> किसी भी बेरोजगार से पूछिए कि उसे रोजगार चाहिए या श्रम संरक्षण कानून तो उसका संभावित जवाब यही होगा कि पहले नौकरी तो मिले

अवधेश राजपूत

हाल में वियतनाम जाना हुआ। वहां हनोई से हा लोंग बे के मार्ग में फैक्ट्रियों की लंबी श्रृंखला दिखाई पड़ी। मेरे टूरिस्ट गाइड ने बताया कि ये 'कैनन' की विनिर्माण इकाइयां हैं। उसने मुझे यह भी बताया कि सैमसंग के 60 प्रतिशत फोन वियतनाम में बनते हैं। गत वर्ष वियतनाम से होने वाले कुल निर्यात में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी सैमसंग के उत्पादों की थी। यह वाकई एक बड़ी पहेली है कि युद्ध की विभीषिका झेलने वाला एक देश कैसे कुछ दशकों में अपनी कायापलट करने में सक्षम हुआ। गरीबी घटाने के मामले में उसका रिकॉर्ड चीन से भी बेहतर है। 1990 में वियतनाम की 60 प्रतिशत आबादी गरीब थी, जबकि अब मात्र 10 प्रतिशत लोग ही गरीब रह गए हैं। वियतनाम प्रवास के दौरान मैंने जाना कि यह सफलता लचीली श्रम नीतियों और उपयुक्त बुनियादी ढांचे की शानदार जुगलबंदी से ही संभव हुई। भारत में मोदी सरकार ने जबसे सत्ता संभाली है तबसे वह उत्पादकता बढ़ाने के भरसक प्रयास में जुटी है। इस दिशा में आइबीसी, जीएसटी और मौद्रिक नीति समिति के रूप में सरकार ने कुछ बड़े सुधार किए हैं। फिर भी काफी कुछ किया जाना शेष है। जैसे कि भूमि एवं श्रम सुधार।

भूमि सुधार एक भावनात्मक मुद्दा है। पहले कार्यकाल में मोदी सरकार ने भूमि सुधारों की दिशा में तमाम प्रयास किए। इसके लिए नौ बार अध्यादेश भी लाया गया, लेकिन राज्यसभा की स्वीकृति न मिल पाने के कारण वह सुधार अधर में रह गया। हाल में संसद ने एक नई श्रम संहिता को स्वीकृति दी है। इसमें श्रम नीति के तमाम प्रावधानों को सुसंगत किया है। मसलन भविष्य निधि के फायदों का दायरा अस्थाई-अनुबंधित कर्मचारियों तक बढ़ाया गया है। श्रमिकों की भागीदारी को और उदार बनाने के लिए समन्वित प्रयास भी किए जा रहे हैं। श्रम सुधार भी बहुत भावनात्मक मुद्दा है। यह राजनीतिक रूप से बहुत संवेदनशील मसला है। श्रम सुधारों को लेकर नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने जोर देकर यह बात दोहराई है कि इसमें कोई भी 'हायर एंड फायर' नीति नहीं अपनाई जाएगी। चीन, वियतनाम, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे देशों के मुकाबले भारत में सस्ती श्रम दरों के बावजूद श्रम की कुल लागत कहीं अधिक है। श्रम उत्पादकता देश में विनिर्माण के अपेक्षित विस्तार में एक बहुत बड़ी बाधा बनी हुई है। श्रम उत्पादकता में सुधार के लिए तकनीकी मोर्चे पर निवेश और उपक्रमों का आकार बढ़ाने की दरकार है। विनिर्माण क्षेत्र में उद्यमी और निवेशक या तो अपने सीमित दायरे एवं लचर श्रम उत्पादकता या फिर अन्य बाजारों की कमी के साथ टिके हुए हैं।

फिलहाल भारतीय अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। भारत की तिमाही जीडीपी वृद्धि दर गोता लगाते हुए पांच प्रतिशत के दायरे में आ गई है। स्वाभाविक रूप से इसका सीधा सरोकार लोगों की आर्थिक दशा-दिशा से है। भारत में पहली बार समग्र मांग में गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे बढ़ती बेरोजगारी को वजह माना जा रहा है जो लोगों की क्रय शक्ति को प्रभावित कर रही है। इस बीच अमेरिका और चीन, जापान और कोरिया के बीच जारी व्यापार युद्ध एवं आमजन से जुड़े मुद्दों पर टकराव से विनिर्माण केंद्रों से पलायन बढ़ा है। विशेषकर चीन से तमाम कंपनियां किनारा कर कहीं और विनिर्माण केंद्र स्थापित कर रही हैं। ऐसे में यह भारत के लिहाज से अनुकूल अवसर है कि वह इन इकाइयों को अपने यहां स्थापित कराने के प्रयास करे। इससे भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में एक अहम कड़ी के रूप में उभरेगा। मोदी सरकार ने कॉरपोरेट टैक्स घटाकर इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। अब यह दुनिया के कई देशों विशेषकर एशियाई प्रतिस्पर्धी मुल्कों की तुलना में खासा कम हो गया है। देर-सबेर भारतीय अर्थव्यवस्था को इससे बहुत फायदा होने की उम्मीद है। हालांकि जब तक विनिर्माण इकाइयां भारत का रुख नहीं करतीं, तब तक इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा।

एक ऐसे समय में जब पर्याप्त मात्रा में रोजगार सृजन नहीं हो रहा तब श्रमिक संरक्षण के लिए बने कायदे-कानूनों का कोई खास महत्व नहीं रह जाता। श्रम कानून इसलिए बनाए गए हैं ताकि श्रमिकों को शोषण से बचाया जा सके। अहम सवाल यह है कि जब कोई रोजगार ही नहीं होगा तो फिर हमें किसके अधिकारों का संरक्षण करने की जरूरत होगी? फिलहाल भारत में 98 प्रतिशत रोजगार के अवसर कृषि, असंगठित अर्थव्यवस्था के अलावा सूक्ष्म, छोटे एवं मझोले उद्योग यानी एमएसएमई और एसएमई के जरिये सृजित होते हैं। अमूमन इनमें श्रम संरक्षण कानून लागू नहीं होते। कहने का अर्थ यह नहीं कि श्रम कानूनों को पूरी तरह समाप्त कर दिया जाए, लेकिन उन्हें तार्किक अवश्य बनाया जाना चाहिए।

क्या यह संभव नहीं बनाया जा सकता कि कम से कम 300 लोगों को नियुक्त करने के प्रावधान को विदाई दी जाए। साथ ही नियोक्ता को आवश्यकतानुसार 'भर्ती एवं कार्यमुक्ति' की गुंजाइश दी जाए। कम से कम लोगों के पास रोजगार तो होना चाहिए। किसी भी बेरोजगार से पूछिए कि उसे रोजगार चाहिए या श्रम संरक्षण तो उसका संभावित जवाब यही होगा कि पहले नौकरी मिले तो सही। एक बार यदि पर्याप्त मात्रा में रोजगार के अवसर सृजित हो जाएं तो सरकार कल्याणकारी मसलों को सुलझा सकती है। वह नई आर्थिक गतिविधियों से होने वाले फायदों के जरिये राजस्व जुटाकर एक कोष बना सकती है। पहले श्रमिक का संरक्षण, फिर रोजगार की तलाश और फिर कल्याणकारी कदमों वाले समीकरण को पलटना चाहिए। वैश्विक विनिर्माण को लुभाने के लिए चीन, वियतनाम, कंबोडिया और अन्य एशियाई तेजतर्रार देशों ने यही किया है।

सामाजिक तानेबाने को न छेड़ने के मकसद से चीन ने ऐसे विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी सेज बनाए जहां कारोबार को बढ़ाने की पूरी आजादी दी गई। इससे बड़े पैमाने पर निवेश आकर्षित हुआ। इसकी तुलना में भारत में सेज महज कर रियायतों और जमीन अधिग्रहण की पहेली में ही उलझकर रह गए। 2004 में बतौर सेबी चेयरमैन मुझे चीन जाने का अवसर मिला था। तब भारतीय राजदूत द्वारा दिए एक पत्र को पढ़कर मैं हैरान रह गया। उसका एक निष्कर्ष यह था कि चीन से विनिर्मित वस्तुओं का 80 प्रतिशत निर्यात उन कंपनियों से होता था जिनका पूरा स्वामित्व चीन से बाहर किसी अन्य देश में था। चीन ने श्रम एवं अन्य मूल्य वर्धित पहलुओं का पूरा लाभ उठाया। भारत में भी यह रणनीति अपनाना उपयोगी होगा।

भारत में आर्थिक समृद्धि को बढ़ाने की मोदी सरकार की मंशा पर कोई संदेह नहीं है। अर्थव्यवस्था के बुनियादी पहलुओं को मजबूती देने के लिए सरकार ने कई साहसिक कदम उठाए हैं। हालांकि भूमि एवं श्रम सुधारों के बिना आर्थिक वृद्धि को अपेक्षित गति नहीं दी जा सकती और न ही युवा आबादी का अपेक्षित लाभ उठाया जा सकता है। किसी भी अवसर की एक मियाद होती है। साहसी ही उसे पूरी तरह भुना सकते है।

(लेखक सेबी और एलआइसी के पूर्व चेयरमैन हैं)

response@jagran.com

साकार हो रहे गरीबों के सपने

नरेंद्र सिंह तोमर

> पानी, बिजली, रसोई गैस, शौचालय जैसी सुविधाओं के साथ पक्का मकान जीवन को गरिमामय बनाता है

उत्तर प्रदेश में सिद्धार्थ नगर जिले के एक गांव में अमरावती अपने बच्चों के साथ झोपड़ी में रह रही थीं। वह गांव में मजदूरी से होने वाली आमदनी से अकेले ही घर का खर्च चलाया करती थीं। मानसून में उनकी झोपड़ी में बारिश का पानी टपकना आम था। इस दौरान खाना बनाने के लिए सूखी लकड़ी भी कठिनाई से मिलती थी। ऐसे में वह कई बार काम के अवसर भी खो देती थीं। अमरावती के लिए इस तरह की कठिनाइयों के बीच गरिमापूर्ण जीवन बिताना कल्पना से बाहर की बात थी। यह कहानी अकेले अमरावती की ही नहीं है, ऐसे कई लोग और परिवार हैं जिनके लिए पक्के मकान में गरिमापूर्ण जीवन जीने का सपना भी दुर्लभ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत अमरावती एवं उनके जैसे 87 लाख से अधिक परिवार जरूरी सुविधाओं से युक्त आवास पाकर आज गरिमापूर्ण जीवन जी रहे हैं। यह सब प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के सफल क्रियान्वयन से संभव हो पाया है।

शौचालय, एलपीजी सिलेंडर के साथ बिजली और पेयजल जैसी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्के मकान की उपलब्धता गरिमापूर्ण जीवन के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके लिए पूर्व की इंदिरा आवास योजना का पुनर्गठन कर उसे एक अप्रैल, 2016 से प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का स्वरूप दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश में आगरा से 20 नवंबर, 2016 को इसका शुभारंभ किया। इसका तात्कालिक उद्देश्य 2016-17 से 2018-19 के बीच पहले चरण के अंतर्गत एक करोड़ मकानों का निर्माण करना था। बाकी एक करोड़ 95 लाख मकानों को दूसरे चरण के अंतर्गत वर्ष 2019-20 से 2021-22 के बीच पूरा करने का लक्ष्य है। सभी राज्य सरकारों की भागीदारी से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अब तक 87 लाख से अधिक आवासों का निर्माण पूरा कर लिया है।

यह सच है कि पानी, रसोई गैस, शौचालय और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के साथ पक्के मकान का होना किसी भी परिवार का आत्मसम्मान बढ़ाता है, क्योंकि इससे उस परिवार को दिन-प्रतिदिन की चिंताओं से मुक्ति मिल जाती है। वह अधिक समय आर्थिक गतिविधियों के लिए निकाल पाता है। उस परिवार को और अधिक आर्थिक एवं सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। नवनिर्मित मकानों से लोगों के जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार आता है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत हम ये मूलभूत सुविधाएं भारत सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों के साथ तालमेल के जरिये उपलब्ध करा रहे हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सबसे पहले सरकार ने आवास विहीनता के मानदंडों पर आधारित सामाजिक-आर्थिक जातिगत जनगणना-2011 के जरिये लाभार्थियों की पहचान करने का निर्णय लिया। इसके बाद ग्राम सभा स्तर पर सत्यापन प्रक्रिया अपनाई गई। इससे इस योजना के लाभार्थियों के चयन और स्थाई प्रतीक्षा सूची में पूर्ववर्ती क्रम के अनुसार मकानों के आवंटन में पारदर्शिता लाने में मदद मिली। सरकार प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) के माध्यम से लाभार्थियों के खातों में धनराशि को सीधे भेजने से भ्रष्टाचार रोकने में भी सफल हुई है। इस योजना में निगरानी प्रक्रिया साक्ष्य-आधारित है। भुगतान करने से पहले आवास एप के जरिये निर्माण के पूर्व निर्धारित स्तरों के चित्र लिए जाते हैं। फिर इन जियो टैग्ड चित्रों को समय और तारीख के साथ आवाससॉफ्ट पर अपलोड किया जाता है। ये विवरण सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध हैं। इससे वित्तीय अनुशासन कायम हुआ है। हम घर बैठे देश के किसी कोने में निर्मित हो रहे आवास की वास्तविक प्रगति से अवगत हो सकते हैं। इस योजना में एक अन्य महत्वपूर्ण पहल प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र में एकल नोडल खाता खोलने और संचालित करने की भी रही। पुरानी ग्रामीण आवास योजना में राज्य, जिला, ब्लॉक और उप-ब्लॉक के स्तर पर विभिन्न खाते होते थे। उनमें अनावश्यक रूप से पैसे पड़े रहते थे। पात्र लाभार्थियों को फंड जारी नहीं हो पाते थे। नतीजतन मकान निर्माण में देरी होती थी। एकल नोडल खाता प्रणाली से इस समस्या का समाधान हो गया है। इस खाते से राज्य के किसी भी हिस्से में लाभार्थी के खाते में धनराशि सीधे भेजी जा सकती है। इससे धनराशि का सुचारू प्रवाह सुनिश्चित हुआ है और मकानों के निर्माण में तेजी आई है।

ग्रामीण क्षेत्रों में मकानों की गुणवत्ता के मुद्दे से निपटने और ग्रामीण आवास के निर्माण की सभी जरूरतों को एक ही जगह पर पूरा करने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ग्रामीण राजमिस्त्री प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। इसके तहत न केवल राजमिस्त्री से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाता है, बल्कि बार-बेंडिंग और शटरिंग इत्यादि का काम भी सिखाया जाता है। इससे इनको रोजगार मिलने के अवसर बढ़े हैं। इस कार्यक्रम के तहत कुल 53,370 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित एवं प्रमाणित भी किया जा चुका है। प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से मकान का निर्माण पूरा करने में लगने वाले दिनों की औसत संख्या भी घटी है। 2015-16 में किसी मकान का निर्माण कार्य पूरा होने में औसतन 314 दिन लगते थे जो वर्ष 2017-18 में घटकर 114 दिन रह गए। इससे वार्षिक आधार पर पूरे किए जाने वाले मकानों की संख्या में वृद्धि हुई है। इस महत्वाकांक्षी योजना के पहले चरण के क्रियान्वयन के दौरान सरकार को ऐसे परिवारों के बारे में पता चला जो संभवतः पात्र हैं, लेकिन वे स्थाई प्रतीक्षा सूची में किसी कारण शामिल नहीं हो पाए। ऐसे छूटे हुए परिवारों का विवरण दर्ज करने के लिए आवास प्लस मोबाइल एप विकसित किया गया। इनसे मिले आंकड़ों के आधार पर पात्र उम्मीदवारों की सूची को अपडेट किया जा रहा है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार वर्ष 2022 तक गरीबी मुक्त नए भारत का सपना पूरा करने जा रही है और इसी कड़ी में ग्रामीण विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के माध्यम से हर पात्र लाभार्थी को मार्च, 2022 तक सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त आवास उपलब्ध कराने के लिए कृतसंकल्प है।

(लेखक केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

जीवन दृष्टि बदलें

ईश्वर के कार्य में कोई विशेष प्रयोजन अवश्य होता है। कुछ परिवर्तन नियमबद्ध हैं, कुछ आकस्मिक। यह अनायास नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे कभी सृष्टि की गति भंग नहीं हुई है। ऐसा लगता है कि हर जीव, हर घटना की अपनी कोई भूमिका होती है जो उसे पूरी करनी ही होती है। मनुष्य अपने तन की ओर देखे। अधिकांश मनुष्य आए और लंबा जीवन जी कर चले गए। जीवन भर उन्हें ज्ञात ही नहीं हो पाया कि उनके जीवन में कितने अंगों का कैसा योगदान रहा। ज्ञान-विज्ञान के वर्तमान युग में भी बहुत से लोगों को अपने तन की आंतरिक रचना की सटीक जानकारी नहीं है। इसके बावजूद सारे अंग अपना कार्य करते हैं तभी जीवन चलता है। जब एक भी अंग शिथिल हो जाए तो जीवन रुकने लगता है। तब उस अंग का महत्व समझ आता है। सृष्टि मानव तन का व्यापक स्वरूप है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। यदि मनुष्य अपने तन को सहेज रहा है तो वही संवेदनशीलता उसे ब्रह्मांड के प्रति भी दिखानी चाहिए। मनुष्य के तन का भी अंग यदि रोगग्रस्त हो तो जीवन प्रभावित होता है। ब्रह्मांड का एक भी अंश यदि तिरोहित होने लगे तो ब्रह्मांड का संतुलन, सामंजस्य टूटता है। इसका अर्थ ईश्वर की व्यवस्था में व्यवधान होना है। परमात्मा की व्यवस्था में व्यवधान डालना स्वयं अपने जीवन को दुख और दंड की ओर ले जाना है।

मनुष्य समाज और सृष्टि को अपने तन की भांति समझे। जैसे वह अपने तन को स्वस्थ रखने के उपाय करता है वैसे ही समाज को सुखी बनाए रखने में अपना योगदान दे। मनुष्य अपने जीवन में सृष्टि से बहुत कुछ लेता है, किंतु जितना वह ले रहा है कम से कम उतना सृष्टि को लौटाने का भी उपाय करे। वह सृष्टि से इतना कुछ इसलिए प्राप्त कर सका है, क्योंकि यह उसके लिए सहेज कर रखा गया था। जब वह सृष्टि को सहेजता है तो अपने अगले जन्मों को ही सुखद बनाता है। जो वह आज दे रहा है कल ईश्वर की कृपा से किसी न किसी रूप में उसके पास ही लौट कर आना है। ऐसे में हमें जीवन को देखने की दृष्टि बदलने की आवश्यकता है।

डॉ. सत्येंद्र पाल सिंह

गुलाबी गेंद का असर

कोलकाता के ईडन गार्डंस में भारत और बांग्लादेश के बीच होने वाले दूसरे टेस्ट मैच में पहली बार गुलाबी गेंद का इस्तेमाल होगा। इसके साथ ही भारत अपना पहला डे-नाइट टेस्ट मैच भी खेलेगा। हालांकि अभी गुलाबी गेंद मैदान पर उतरी नहीं है, लेकिन उसे लेकर तरह-तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं। कुछ लोग बता रहे हैं कि यह गेंदबाजों और बल्लेबाजों के लिए अच्छी साबित होगी तो कुछ का मानना है कि इससे दोनों को नुकसान होगा। अभी तक क्रिकेट मैच लाल और सफेद गेंद से खेले जाते थे, पर गुलाबी गेंद के प्रवेश ने कई तरह के सवाल पैदा कर दिए हैं?

एक सामान्य-सा सवाल है जो बहुत से लोगों के मन में उठ रहा है कि आखिर गुलाबी गेंद ही क्यों? किसी और रंग की गेंद क्यों नहीं? हरी, पीली, नीली, काली... सिर्फ गुलाबी गेंद ही क्यों चुनी गई? दरअसल गुलाबी गेंद लाल गेंद और सफेद गेंद के बीच की है। यानी इसमें टेस्ट मैच खेली जाने वाली लाल गेंद और वन डे मैच खेली जाने वाली सफेद गेंद दोनों का अंश होगा। कहना गलत नहीं होगा कि ये दोनों से मिलकर बनी है। टेस्ट मैच में सफेद ड्रेस के सामने सफेद गेंद ठीक से नहीं दिखती, इसलिए

फिर से

> डे-नाइट टेस्ट मैच के लिए गुलाबी गेंद इसलिए चुनी गई है, ताकि खिलाड़ी उसे दिन और रात में आसानी से देख सकें

खिलाड़ी लाल गेंद से खेलते हैं, जबकि वन डे मैच में रंगीन जर्सी होती है, इसलिए सफेद गेंद से खेलते हैं। ऐसे में गुलाबी गेंद इसलिए चुनी गई है, ताकि खिलाड़ी उसे दिन में, शाम को और रात में आसानी से देख सकें। लाल रंग की गेंद को रंगा जाता है, जबकि सफेद और गुलाबी रंग की गेंद पर पेंट किया जाता है और उसकी एक खास तरह के रसायन से कोटिंग की जाती है, ताकि रंग लंबे समय तक बना रहे। एक सवाल यह भी है कि जब सफेद बॉल से भी रात में और दिन में खेला ही जा रहा था तो गुलाबी की क्या जरूरत है? दरअसल टेस्ट मैच में खिलाड़ियों को 80 ओवर के बाद दूसरी गेंद मिलती है। यानी 80 ओवर तक एक ही बॉल से खेलना होता है। सफेद गेंद इतने अधिक ओवर तक बहुत अधिक खराब हो जाती है। 50 ओवर के वन डे मैच में दो गेंदों का इस्तेमाल किया जाता है, जिनसे पिच के दोनों हिस्सों से 25-25 ओवर खेले जाते हैं।

क्या बल्लेबाजों को इससे कोई दिक्कत भी हो सकती है? अगर फुल पिच गेंद फेंकी जाती है तो बल्लेबाज को उसे समझने में दिक्कत हो सकती है। साथ ही यह भी समझने में दिक्कत हो सकती है कि गेंद कैसे और कितनी तेज स्पिन कर रही है। दरअसल लाल गेंद में सफेद सिलाई होती है, जो गेंद की स्पिन को दिखा देती है, लेकिन गुलाबी गेंद की सफेद सिलाई लाल गेंद जितनी उभर कर नहीं दिखती। साथ ही सूरज ढलने के समय का खेल गुलाबी गेंद से खेलने में दिक्कत होती है। वहीं गेंदबाजों को होने वाली दिक्कत की बात करें तो कहा जा रहा है कि लाल गेंद के मुकाबले गुलाबी गेंद जल्दी पुरानी हो जाती है। यह शुरू-शुरू में तो खूब चमकती है और स्विंग करती है, लेकिन जल्द ही अपनी चमक खो देती है और फिर सामान्य-सी हो जाती है। ऐसी स्थिति में गुलाबी गेंद को बल्लेबाज खूब पीटते हैं। बहरहाल अब सबको इंतजार है कि गुलाबी गेंद मैदान में अपना क्या कमाल दिखाती है?

(आइचौक.इन से साभार)

मेलबाक्स

गरीब छात्रों की सुध लेने की जरूरत

शिक्षा संस्थानों की फीस का सवाल शीर्षक से लिखे अपने लेख में प्रो. निरंजन कुमार ने आजकल जेएनयू में फीस बढ़ोतरी के लिए जो बवाल मचा है, उसका विश्लेषण करते हुए यह राय दी है कि निजी शिक्षण संस्थानों में फीस का दायरा तय किया जाना चाहिए। उन्होंने सही कहा है कि निजी शिक्षण संस्थानों की फीस इतनी निर्धारित की जाए कि गरीब से गरीब घराने का बच्चा भी वहां शिक्षा ग्रहण कर पाए। जेएनयू में कई गरीब घराने के छात्र भी पढ़ने आते हैं, क्योंकि वहां फीस बहुत कम है। अगर वहां भी फीस में बढ़ोतरी हो जाती है तो यह गरीब छात्रों के साथ नाइंसाफी होगी। देश में तमाम शिक्षण संस्थानों में शिक्षा प्राप्त करना इतना महंगा हो गया है कि वहां गरीब घराने का कोई छात्र प्रवेश पाने के बारे में नहीं सोच सकता। हमारे देश में बहुत से प्रतिभाशाली युवा आर्थिक तंगी के कारण अपनी रुचि के मुताबिक पढ़ाई नहीं कर पाते, इससे उनके सपने चकनाचूर हो जाते हैं। सरकार को हर गरीब युवा के सपनों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मदद देनी चाहिए। हर शिक्षा संस्थान में आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की फीस इतनी तय की जाए जिसे वे आसानी से अदा कर सकें।

राजेश कुमार चौहान, जालंधर

जनसंख्या नियोजन जरूरी

शिक्षा में बढ़ती फीस को लेकर हंगामा, मंदी के कारण बेरोजगार होते युवाओं का दर्द, बढ़ता वायु प्रदूषण और गरीबी का दंश। आखिर ये सब क्यों हो रहा है और इनके समाधान के क्या उपाय हैं? मुझे लगता है कि सरकार ने अपने शासनकाल में कठोर निर्णय तो लिए हैं, लेकिन देश की इन समस्याओं के निदान के प्रति अभी सार्थक कदम नहीं उठाए हैं। इन सभी समस्याओं का एक ही कारण है और वह है देश में दिन पर दिन बढ़ती जनसंख्या। देश में इसकी रोकथाम के लिए अनेकों सुझाव दिए जाते हैं, लेकिन समाधान फिर भी नहीं हो पाता है। यदि देश में जो दंपती केवल एक बच्चे को जन्म दें तो सरकार उस एक बच्चे के लिए रोजगार की गारंटी दे। इसके साथ ही अधिक बच्चों के माता-पिता को सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाए। इससे लोग परिवार नियोजन के प्रति प्रोत्साहित होंगे। जब जनसंख्या कम होगी तो बेरोजगारी और गरीबी भी खत्म होगी। इतना ही नहीं, देश में आर्थिक मंदी जैसे हालात भी कभी पैदा नहीं होंगे और न ही विद्यार्थियों को आंदोलन की जरूरत पड़ेगी। लोगों का इससे सरकार पर विश्वास भी बढ़ेगा और सरकार भी लोककल्याण की अवधारणा को सफलतापूर्वक संचालित कर पाएगी। जनसंख्या नियंत्रण के लिए अलग से कानून बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे एक ही घर के चार-चार लोगों को अभी मिल रही सरकारी नौकरी पर अंकुश लगेगा और जिस गरीब के घर में आज तक कोई पढ़ भी नहीं पाया उसे भी पढ़ने की बेहतर सरकारी सुविधाओं के साथ नौकरी का लाभ मिलेगा तो निश्चित ही देश से आर्थिक विषमता का अंत होगा।

पिंटू सक्सेना, नई दिल्ली

हवा-पानी दूषित

पानी की ताजा रिपोर्ट ने दिल्ली में पेयजल की गुणवत्ता की पोल खोल दी है। शहर का पानी सभी 19 जांच मानकों में फेल पाया गया है। इसका मतलब यह निकलता है कि शहरवासी जहरीली हवा के साथ जहरीला जल ग्रहण कर रहे हैं। इस तरह का दूषित पानी का लंबे समय तक सेवन करने से हमारे शरीर के विभिन्न अंग जैसे किडनी, लीवर, आंतों में सीधा असर पड़ता है जो स्वास्थ्य के लिए अत्यंत नुकसानदेह है। सभी राजनीतिक दल इस विषय पर राजनीति न करते हुए परिस्थिति की गंभीरता को समझें एवं साथ आकर काम करें।

anandchetri621@gmail.com

सस्ती हो शिक्षा

शिक्षा तो सस्ती होनी ही चाहिए, ताकि आम, गरीब, मजदूर व किसान के बच्चे भी पढ़ लिख सकें। एक तरफ देश के सांसदों, विधायकों, मंत्रियों को सरकारी खजाने से भारी भरकम वेतन मिलता है, फिर भी उन्हें 4000 यूनिट बिजली, खाने की कैंटीन में भोजन पर सब्सिडी, टेलीफोन सुविधा या अन्य कई प्रकार के भत्ते क्यों? इस पर सवाल नहीं उठाए जाते। लेकिन जब ये छात्र शुल्क वृद्धि का विरोध कर रहे हैं तो तर्क दिए जा रहे हैं कि शुल्क की वृद्धि जायज है। शिक्षा को अति कम शुल्क या मुक्त रखा जाना जरूरी है।

hemahariupadhyay@gmail.com

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।

अपने पत्र इस पते पर भेजें :
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल : mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 * इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त।